संख्या–530/VI/2006–2(6)2004

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 05 मई, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में पर्यटन विकास की नई योजना के अन्तर्गत ग्रेट ग्रीन विस्टा, हरिद्वार में लाईट एण्ड साउण्ड शो के सिविल कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10/1–2–46 (साउण्ड एण्ड लाईट शो)/2001–06, दिनांक 04 अप्रैल, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजना के अन्तर्गत ग्रेट ग्रीन विस्टा, हरिद्वार में लाईट एण्ड साउण्ड शो के लिए सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 46.68 लाख की लागत की योजना के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 33.25 लाख (रूपये तैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करायें ।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के नव्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

12–कार्य प्रारम्भ करते समय सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का साइनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। साईन बोर्ड पर कार्य का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायेगें।

13–सम्बन्धित निर्माण इकाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु एक पट चार्ट तैयार कर पर्यटन निदेशालय/शासन को उपलब्ध करायेगा एवं कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने हेतु वचनबद्धता भी इंगित करेगा।

14–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452– पर्यटन पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएँ–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

15–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 11/XXVII(2)/2006, दिनांक 05 मई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के अधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या–530-VI /2006–2(6)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वित्त अनुभाग–2,
6– श्री एल0एम0पन्त,वित्त बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
10–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।